भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1515
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की हानि

1515. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक आपदाओं के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई फसल हानि के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) कृषि को प्रभावित करने वाले जलवायु-जनित जोखिमों और आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, जल संसाधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, तथा कृषि मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने वाले विद्यमान अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में इन समन्वय तंत्रों की प्रभावशीलता के संबंध में कोई आकलन या समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को एक समर्पित राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनएडीएमए) की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल आपदाओं के कारण प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषि को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और केंद्र सरकार के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय हेतु सुस्थापित संस्थागत तंत्र मौजूद है, जिसका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में एक समर्पित राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनएडीएमए) की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध-I

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल आपदाओं के कारण प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष (लाख हेक्टेयर में)		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0.07	1.30	0.11
2	अरुणाचल प्रदेश	0.001	0.00	-
3	असम	1.15	0.59	1.38
4	बिहार	0.37	-	-
5	छत्तीसगढ	0.005	-	-
6	गोवा	-	-	-
7	गुजरात	0.83	1.33	-
8	हरियाणा	-	2.16	-
9	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.76	-
10	झारखंड	-	-	-
11	कर्नाटक	9.95	0.30	2.86
12	केरल	-	-	-
13	मध्य प्रदेश	-	-	-
14	महाराष्ट्र	-	-	-
15	मणिपुर	-	-	0.01
16	मेघालय	0.12	-	0.01
17	मिजोरम	-	-	0.21
18	नागालैंड	-	-	0.03
19	ओडिशा	1.36	0.16	0.22
20	पंजाब	0.83	1.66	-
21	राजस्थान	-	-	-
22	सिक्किम	0.002	-	-
23	तमिलनाडु	1.53	0.36	2.92
24	तेलंगाना	-	0.61	-
25	त्रिपुरा	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	2.13	-	3.95
27	उत्तराखंड	-	0.09	0.05
28	पश्चिम बंगाल	-	-	1.38
29	अंडमान और निकोबार	-	-	-
30	चंडीगढ़	-	-	-
31	दादर और नगर हावेली	-	-	-
32	दिल्ली	-	-	-
33	लद्दाख	-	-	0.02
34	लक्षद्वीप	-	-	-
35	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-
36	पुदुचेरी	-	0.07	0.05
	कुल	18.428	9.39	13.11

अनुबंध-II

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र

केंद्रीय सूखा राहत आयुक्त (सीडीआरसी):

अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सूखे की स्थिति की निगरानी करने, परामर्श जारी करने, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के साथ सूखे के प्रभाव को कम करने/निपटने के लिए समन्वय करने हेतु सीडीआरसी के रूप में कार्य करते हैं।

संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी):

अपर सचिव एवं केंद्रीय सूखा राहत आयुक्त की अध्यक्षता में गठित संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) समय-समय पर सूखे की तैयारियों की समीक्षा करता है, उचित निर्णय लेता है और केंद्रीय कृषि सचिव, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) और राज्य सरकारों को घटनाक्रमों की रिपोर्ट देता है। सीएमजी में पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय/विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान, भूमि संसाधन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत, रेलवे, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी मामले, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी):

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सूखा प्रबंधन के लिए फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजीडीएम) एक अंतर-मंत्रालयी तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो देश में सूखे की स्थिति की निगरानी के लिए जून से सितंबर की अवधि के दौरान सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करता है। इस समूह में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, आईसीएआर-सीआरआईडीए, भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, एमएनसीएफसी और इसरो के प्रतिनिधि शामिल हैं।

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी):

राज्य सरकार द्वारा किसी प्राकृतिक आपदा की सूचना दिए जाने के बाद, प्रभावित राज्यों में सूखे और अन्य अधिसूचित आपदाओं का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया जाता है। इस आईएमसीटी में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, जैसे कृषि, पशुपालन, खाद्य, ग्रामीण विकास, विद्युत, पेयजल, नीति आयोग, व्यय विभाग, गृह विभाग, आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के बाद, आईएमसीटी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति:

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति, जो एक अंतर-मंत्रालयी समिति है, की अध्यक्षता सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (भारत सरकार) द्वारा सूखा, कीट आक्रमण, ओलावृष्टि और शीत लहर/पारा के लिए की जाती है और यह उच्च स्तरीय समिति को एनडीआरएफ से सहायता की मात्रा की सिफारिश करती है। अन्य आपदाओं के मामले में, एससी-एनईसी की अध्यक्षता सचिव, गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है।

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी):

केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की एक उच्च स्तरीय समिति विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को एससी-एनईसी की सिफारिशों के आधार पर एनडीआरएफ के तहत राहत की अंतिम मात्रा की सिफारिश करने के लिए गठित की गई है।

*****